# संचालनालय कोष एवं लेखा
## मध्यप्रदेश

क्र0 / डीटीए / C-SFMS / 2015 / 231, भोपाल,दिनांक - 08 / 12 / 2015

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   म0प्र0 शासन,
2. समस्त कोषालय अधिकारी,
   म0प्र0।

विषय :- IFMIS परियोजना अंतर्गत निर्मित ई-मेल आई डी के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालयीन आदेश क्र / IFMIS / E-Mail / 2015 / 198 भोपाल दिनांक 04.11.2015।

---000---

संदर्भित पत्र द्वारा IFMIS परियोजना अंतर्गत कार्य संचालन हेतु समस्त प्रशासकीय विभाग, बजट नियंत्रण अधिकारी, कोषालय / उपकोषालय अधिकारियों एवं आहरण संवितरण अधिकारियों के ई-मेल आई डी निर्मित कर वितरित किये गये हैं। IFMIS ई-मेल पॉलिसी के बिंदु क्र0 6.2 के अनुसार प्रत्येक ई-मेल आई डी के मेल बॉक्स की सीमा (quota size) 40 MB है अतः स्मरण कराया जाता है कि प्रतिदिन प्राप्त ई-मेल (सूचनाओं, आदेश, निर्देश एवं पत्रों) को अपने कम्प्यूटर सिस्टम में ही अलग फोल्डर में सुरक्षित (Save) कर लें। उपरोक्त प्रक्रिया से बैकअप लेने के पश्चात् मेल के इनबॉक्स में से ई-मेल डिलीट (delete) कर दें, डिलीट किये गए ई-मेल डिलीटेड आइटम (deleted items) में move हो जाते हैं। अतः यहाँ से भी deleted ई-मेल को delete कर दें ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आपके मेल बॉक्स में पड़े हुए ई-मेल की साइज 40 MB से अधिक होने पर मेल बॉक्स में आवश्यक नए ई-मेल प्राप्त नहीं हो सकेंगे। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए ई-मेल पॉलिसी का अध्ययन करना सुनिश्चित करें। ई-मेल पॉलिसी www.mptreasury.org पर उपलब्ध है।

वि.क.अ.सह-आयुक्त
कोष एवं लेखा

पृ0क्र0 / डीटीए / C-SFMS / 2015 / भोपाल,दिनांक - / 12 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त कलेक्टर्स की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि अपने स्तर से समस्त आहरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

वि.क.अ.सह-आयुक्त
कोष एवं लेखा